में व्यस्त है। अतः इसको ...
पत्रावली आइन्दा 12/2/24 को पेश हो।

12/02/24 पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उप० वकील प्रार्थीगण के पत्रावली पर बहस सुनी। आदेश अलग से लिखा जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। आदेश की पालनार्थ तहरीर जारी हो। पालना प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी, गुढ़ाचन्द्रजी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

प्रकरण संख्या : 54/2023

प्रार्थीगण :–

1. पनाराम वल्द खरथाराम
2. अणदाराम वल्द खरथाराम
3. जेठाराम वल्द खरथाराम
4. लिछमणाराम वल्द खरथाराम
5. मूलाराम वल्द खरथाराम
   जाति जाट निवासी ईशरोणी सारणों की ढाणी, नया नगर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. केसाराम वल्द सालूराम
2. डूंगराराम वल्द हिमताराम
3. मोटाराम वल्द सालूराम
4. मोबताराम वल्द सालूराम
5. रूखमणाराम वल्द सालूराम
6. रिडमलराम वल्द सालूराम
7. हरक्षूदेवी पत्नी मिताराम
8. हरखाराम वल्द सालूराम
9. पनाराम वल्द खेमाराम
10. जेठाराम वल्द कानाराम
11. थानाराम वल्द कानाराम
12. जीयों पत्नी नानगाराम
13. दूदाराम वल्द नानगाराम
14. तुलछाराम वल्द ताजाराम
15. खीयाराम वल्द मगाराम
16. दुर्गाराम वल्द मगाराम
17. देराजराम वल्द दुर्गाराम
18. बाबूराम वल्द मगाराम
    जाति जाट निवासी ईशरोणी सारणों की ढाणी, नया नगर तहसील गुड़ामालानी
19. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गुडामालानी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 12.02.2024

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा. भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से विप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमने प्रार्थीगण के अधिवक्ता की पत्रावली पर बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अंतिम जमाबंदी 2078 (वर्ष 2021) से स्थायी सरहद मौजा ईशरोणी सारणों की ढाणी पटवार हल्का नगर के खेत खसरा नम्बर 363/3, 370/2, 370/7 रकबा क्रमशः 1.2060, 0.7284, 5.3742 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे वचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा ईशरोणी सारणों की ढाणी पटवार हल्का नगर के खेत खसरा नम्बर 363/3, 370/2, 370/7 रकबा कमशः 1.2060, 0.7284, 5.3742 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक, नगर को 500/- शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना RGT रावलीनाडी नगर से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 12/12/24 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

मांकः वाद / 2024 / 127 दिनांक : 12/2/24

प्रार्थीगण बनाम विप्रार्थीगण

पनाराम **केसाराम वगैरा**

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी</u>

राजस्व आवेदन सं......54 / 2023.. निर्णय दिनांक :– **12.0.2.2024**

–:: आदेश ::–

उपरोक्त प्रकरण में ग्राम **ईशरोणी सारणों की ढाणी** के खेत खसरा नम्बर 363 / 3, 370 / 2, 370 / 7 रकबा क्रमशः 1.2060, 0.7284, 5.3742 हैक्टेयर की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु **भू–अभिलेख निरीक्षक नगर**.....को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फींश रूपये ....**500 / –**...प्रार्थीगण अदा करेंगे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी,
गुडामालानी

क्रमांकः वाद / 2024 / 128-29 दिनांक : 12/2/24

प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार गुड़ामालानी
2. थानाधिकारी.........आर.जी.टी..गुड़ामालानी
3. भू–अभिलेख निरीक्षक नगर।
4. हल्का पटवारी....**नगर.** को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
5. प्रार्थीगण.........**धनाराम वगैरा**
6. विप्रार्थीगण.........**केसाराम वगैरा....**

उपखण्ड अधिकारी,
गुडामालानी